



पूर्व मध्य रेलवे

सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत



स्थापना कार्य संबंधी प्रतिबद्धताओं पर चार्टर - समय सीमा

संदर्भ:- रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) का पत्र संख्या ई (जी)2017/इम्पलाईज/चार्टर/1 दिनांक: 25.10.17

क्र.	मद	समय-सीमा		क्र.	मद	समय-सीमा			
1	विभिन्न पोर्टल, यथा, सिंगल विंडो सेल, सीपीग्राम, निवारण (वेतन पुर्न-निर्धारण, वरीयता, एमएसीपी, एरियर पदोन्नति आदि सहित) के माध्यम से प्राप्त कर्मचारी शिकायत/अभ्यावेदनों का निवारण/निस्तारण	आवेदन की प्राप्ति तिथि से 30 कार्यदिवसों में		10	पी. एफ स्टेटमेंट जारी किया जाना	उसी दिन			
				11	सेवा पुस्तिका का निरीक्षण	वर्ष में एक बार			
				12	उच्च शिक्षा संपत्ति लेनदेन, पासपोर्ट, प्रतिनियुक्ति के लिए अनापति प्रमाण पत्र	आवेदन की प्राप्ति तिथि से 14 कार्यदिवसों में जहां सर्तकता अनुमति आवश्यक नहीं है एवं अन्य मामलों में 30 दिन			
2	मुख्य कारखाना प्रबंधक के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार	उसी दिन (मुख्य कारखाना प्रबंधक उपलब्ध न हों तो संबंधित शाखा अधिकारी के साथ साक्षात्कार कराया जाएगा)		13	अनुशासनिक एवं अपील नियम मामलों का निपटान	दीर्घ - 150 दिन लघु - 31 दिन			
				14	पास/पीटीओ जारी किया जाना	1 कार्यदिवस			
3	अनुकंपा नियुक्ति	कारखाना स्तर पर अनुमोदित किए जाने वाले मामले	90 दिन	15	सीटीजी/ओटी/टीए की स्वीकृति एवं भुगतान	कर्मचारी से दावा प्राप्त होने की तिथि से 45 कार्यदिवसों में स्वीकृति अगले बिलिंग साइकिल (जैसा लागू हो) के वेतन के साथ वास्वतिक भुगतान			
		वैसे मामले जिनमें मुख्यालय का अनुमोदन आवश्यक हो	कारखाना में 60 दिन + मुख्यालय में 30 दिन			16	कर्मचारियों के लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था	जहां 5 से अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत हैं उन कार्यालयों में लेडिज टॉयलेट एवं चेंजिंग रूम की व्यवस्था	मार्च 2018 तक
4	सेवानिवृति पर भुगतान	अधिवाषिता पर	उसी दिन	16	कर्मचारियों के लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था			कार्यालय बिल्डिंग (स्टेशन सहित) की पुताई	प्रत्येक वर्ष
		स्वैच्छिक सेवानिवृति/मृत्यु/त्यागपत्र	60 दिन (केवल गैर-विवादित मामलों में)			चिन्हित/नामित कार्यालयों में शोधित जल	चार्टर जारी होने के 60 दिनों के अंदर		
5	चयन एवं उपयुक्तता द्वारा पदोन्नति	पिछली नामिका जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अंदर (रिक्ति उपलब्ध होने पर)		17	छुट्टी हेतु आवेदनों का निस्तारण	चिन्हित/नामित कार्यालयों में पंखे एवं डेजर्ट कूलर	चार्टर जारी होने के 60 दिनों के अंदर		
6	स्वयं के आधार पर स्थानांतरण तथा आपसी स्थानांतरण हेतु अनापति प्रमाण-पत्र	आवेदन प्राप्ति की तिथि से 15 कार्यदिवसों में आवेदन का निस्तारण (आवेदन का अग्रसारण या मामले को अस्वीकृत किया जाना)				17	छुट्टी हेतु आवेदनों का निस्तारण	नियमानुसार पीसी एवं इंटरनेट की व्यवस्था	चार्टर जारी होने के तिथि से 6 माह के अंदर
								7	आआरबी एवं आआरसी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को बुलावा-पत्र भेजने के साथ-साथ आआरबी/ आआरसी से नामिका का पुष्टिकरण
8	(क) विभिन्न प्रकार के अग्रिम/लोन का अनुमोदन (ख) अग्रिम/लोन एवं एरियर के अनुमोदन के पश्चात् वास्तविक भुगतान	प्रशासनिक स्वीकृति 7 कार्यदिवसों के अंदर अगले बिलिंग साइकिल (जैसा लागू हो) में वेतन के साथ वास्तविक भुगतान		18	वरीयता सूची जारी करना	प्रत्येक वर्ष एक बार			
							9	पी. एफ. की निकासी	आवेदन प्राप्ति की तिथि से 7 कार्यदिवसों के अन्दर सक्षम अधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन अनुमोदन की तिथि से अगले 7 दिनों के अन्दर वास्तविक भुगतान

सहायता हेतु कार्मिक विभाग, सडिमका/हरनौत में कर्मचारी कल्याण निरीक्षक (मो. नं. 7273067739 & 9060436630) से सम्पर्क किया जा सकता है।